यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 2.7.2020

मि.न 102/2020

सरकार बनाम रामोतार
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्यांणपुरा कला ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.0050 है0 भूमि पर रामोतार पुत्र माडूराम जाति गुजर्र ने मिट्टी की ड़ोल बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि उसके द्वारा वाके ग्राम कुहाडा के खसरा नंबर 15/0.13 पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। जबकि आराजी खसरा नंबर 15/0.13 है0 पर दिगर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जाकर रास्ते को अवरूद्ध कर है सीमाज्ञान कर अतिक्रमण को हटवाया जावे व गैर सायल का अतिक्रमण पाया जावे तो वह स्वयं अपने खर्चे पर अतिक्रमण हटा लेगा। भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम कुहाड़ा के खसरा नंबर 15/0.13 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल रामोतार पुत्र माडूराम जाति गुर्जर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 15/0.13 है0 किस्म जमीन गैर मुमकीन रास्ता में 0.0020 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.012रू. का पचास गुणा 1 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 2.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner